राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गीता देवी बनाम शुभम अग्रवाल 205/2019 / 206/2019 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 31/12/2025 को पेश हो।	
31/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11/02/2017 पारित करते हुए तहसीलदार जयपुर को ग्राम सिवार तहसील जयपुर में स्थित आराजीयात खसरा नम्बर 672 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा में वर्तमान राजस्व रिकार्ड व सरस-नरस के आधार पर राजस्थान काश्तकारी विभाजन के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुये उभयपक्ष की मौजूदगी में कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार जयपुर द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28/06/2017 पारित कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11/02/2017 के विरुद्ध अपील संख्या 206/2019 गीता देवी बनाम शुभम अग्रवाल एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28/06/2017 के विरुद्ध अपील संख्या 205/2019 प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अतः इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति दोनों अपीलों में सलग्न की जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीयो के अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि मूल वाद विभाजन का है, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड व सरस-नरस के आधार पर राजस्थान काश्तकारी विभाजन के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए उभयपक्षों की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार जयपुर से तलब करने के आदेशो के साथ अपीलाधीन	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

गीता देवी बनाम शुभम अग्रवाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11/02/2017 पारित की गयी है एवं प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28/06/217 के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहखातेदारान के मध्य विभाजन अन्तिम रूप से किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है एवं विधि अनुसार एवं खातेदार के काश्तकारी अधिकारों के मध्यनजर सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11/02/2017 व अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28/06/2017 विधिसम्मत प्रतीत होने से यथावत रखे जाकर दोनों अपीले क्रमशः 205/2019 व 206/2019 अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।